ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये
आचार्य मनिष र. जोशी
सचिव
Prof. Manish R. Joshi
Secretary

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

F. No. 6-8/2025(AMPC) **16 आश्विन,1947/08th October, 2025**

सार्वजनिक सूचना

It is hereby brought to the attention of students, parents, and the general public that, as per the provisions of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956, degrees can only be awarded by universities established under a Central Act, State Act, or Provincial Act, or by institutions that are deemed to be universities under Section 3 of the UGC Act, 1956, and are empowered to confer degrees.

As per the provisions of the University Grants Commission (UGC) (Establishment of and Maintenance of Standards in Private Universities) Regulations, 2003, private universities in India are not permitted to establish off-campus centres, study centres, or extension centres—even within the same state—without prior approval from the UGC. These universities are authorized to operate only from their main campus unless explicit permission is granted for additional centres. Furthermore, private universities and deemed-to-be universities are not allowed to affiliate other colleges or institutions to offer courses leading to the award of degrees, diplomas, or other academic qualifications. Any degrees or qualifications awarded through unauthorized centres or affiliated institutions are considered invalid and are not recognized for purposes of higher education or employment.

However, it has come to the notice of the UGC that an entity operating under the name **"Emversity,"** located at 082, Shobha Millennium, 12th Main Road, HAL 2nd Stage, Appareddipalya, Indiranagar, Bangalore, along with its affiliated centres, is offering degree programmes through franchising, collaboration, or agreements with private universities and deemed-to-be universities.

Such practices are strictly against the provisions of the UGC Act, which prohibits universities from offering degree programmes through franchising arrangements. The UGC warns students and parents to verify the recognition and legal status of any institution before enrolling. Obtaining degrees from unauthorized or unrecognized institutions may result in such qualifications being considered invalid. Therefore, for accessing the list of recognized universities and approved institutions, the stakeholders are advised to visit the official UGC website at www.ugc.gov.in and check the HEIs section.

(मनिष जोशी)

बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 | Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph.: 011-23236288/23239337 | E-mail : secy.ugc@nic.in

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये
आचार्य मनिष र. जोशी
सचिव
Prof. Manish R. Joshi
Secretary

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

मि. सं. F.6-8/2025(एएमपीसी) **16 आश्विन,1947/ 08 अक्टूबर, 2025**

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा छात्रों, अभिभावकों और आम जनता के संज्ञान में यह बात लाई जाती है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार, डिग्रियाँ केवल उन्हीं विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जा सकती हैं जो किसी केंद्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित किए गए हैं, या उन संस्थानों द्वारा जिन्हें यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत मानित विश्वविद्यालय (डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी) का दर्जा प्राप्त है और जिन्हें डिग्रियाँ प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) (निजी विश्वविद्यालयों में मानकों की स्थापना और मानकों के अनुरक्षण) विनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार, भारत में निजी विश्वविद्यालयों को यूजीसी की पूर्व अनुमति के बिना ऑफ-कैंपस केंद्र, अध्ययन केंद्र, या विस्तार केंद्र यहाँ तक कि उसी राज्य के भीतर भी स्थापित करने की अनुमति नहीं है। इन विश्वविद्यालयों को केवल अपने मुख्य परिसर से ही कार्य करने की अनुमति होती है, जब तक कि उन्हें अतिरिक्त केंद्रों के लिए स्पष्ट अनुमति प्राप्त न हो। इसके अतिरिक्त, निजी विश्वविद्यालयों और मानित विश्वविद्यालयों (डीम्ड-टू-बी विश्वविद्यालयों) को अन्य कॉलेजों या संस्थानों को इस प्रकार से संबद्ध (Affiliate) करने की अनुमति नहीं है कि वे डिग्री, डिप्लोमा या अन्य शैक्षणिक योग्यता प्रदान करने वाले पाठ्यक्रम चला सकें। ऐसे किसी भी अनधिकृत केंद्रों या संबद्ध संस्थानों के माध्यम से प्रदान की गई डिग्रियाँ या योग्ताएँ अवैध मानी जाती हैं और उन्हें उच्च शिक्षा या रोजगार के उद्देश्यों के लिए मान्यता प्राप्त नहीं होती।

हालाँकि, यूजीसी के संज्ञान में यह बात आई है कि **"एमवर्सिटी"** नाम से संचालित एक संस्थान, जिसका पता है– 082, शोभा मिलेनियम, 12वीं मेन रोड, एचएएल द्वितीय स्टेज, अप्पारेडिपाल्या, इंदिरानगर, बेंगलुरु में स्थित है, यह अपने संबद्ध केंद्रों के साथ मिलकर निजी विश्वविद्यालयों और मानित विश्वविद्यालयों (डीम्ड-टू-बी विश्वविद्यालयों) के साथ फ्रेंचाइजिंग, सहयोग या समझौतों के माध्यम से डिग्री कार्यक्रमों को संचालित कर रही है।

इस प्रकार की परिपाटी यूजीसी अधिनियम के प्रावधानों के सख्त विरुद्ध हैं, जो विश्वविद्यालयों को फ्रेंचाइजिंग व्यवस्था के माध्यम से डिग्री कार्यक्रम संचालित करने से प्रतिबंधित करता है। यूजीसी छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी/सलाह देता है कि किसी भी संस्था में प्रवेश लेने से पहले उसकी मान्यता और कानूनी स्थिति की सत्यापन/पुष्टि अवश्य करें। अमान्यता प्राप्त या अस्वीकृत संस्थानों से प्राप्त की गई डिग्रियाँ अमान्य मानी जा सकती हैं।

इसलिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और अनुमोदित संस्थानों की सूची तक पहुंचने के लिए, हितधारकों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक यूजीसी वेबसाइट www.ugc.gov.in पर जाएं और HEI सेक्सन की जांच करें।

(मनिष जोशी)

बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 | Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph.: 011-23236288/23239337 | E-mail : secy.ugc@nic.in